

21st September, 2020

BSE Limited, Floor – 25, Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort, Mumbai –400 001

Scrip Code: 505729

Sub: Intimation of Notice given to the Shareholders whose Dividend and Shares are liable to be transferred to The Investor Education And Protection Fund Suspense Account

Dear Sir/ Madam,

Intimation of Notice given to the shareholders whose dividend along with shares are liable to be transferred to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Suspense Account .Pursuant to the provisions of Section 124(6) of the Companies Act, 2013, read with the Investor Education and Protection Fund Authority (Accounting, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016, the Company has published notice in the newspapers intimating the equity shareholders who have not claimed dividend for a period of seven (7) consecutive years and whose shares are liable to be transferred to the IEPF Suspense Account, asking the concerned to take appropriate action on or before November 19, 2020. The scan copies of the notice published in 'Indian Express' (English newspaper) and 'Jansatta' (Hindi newspaper) on September 19, 2020, is enclosed herewith for your reference.

We request you to take the above on record and that the same be treated as compliance under the applicable regulations.

Thanking You.

Yours faithfully

For Singer India Limited

Priyanka Gandhi Company Secretary

Encl: As above

SINGER INDIA LIMITED

Registered & Head Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044

Tel.: +91-11-40617777 Fax: +91-11-40617799 Toll Free No. 1800-103-3474 E-mail: mail@singerindia.net Website: www.singerindia.net

CIN: L52109DL1977PLC025405

WWW.INDIANEXPRESS.COM THE INDIAN EXPRESS, SATURDAY, SEPTEMBER 19, 2020

EXPRESS

(v

S

be

H.

De

CO

au

D

Bi

Co

Cı

Fa

Ta

an

Te

T

in

lel governments" being run by underground groups and accusing them of extortion.

Informal talks resumed last month, with senior leaders of the IM reaching Delhi to talk to senior IB officials.

The police said prima facie it

seems she suffered a stroke. In their primary report, they said Dutta died of "internal brain haemorrhage" at least 35 hours before Friday's autopsy.

The police took the body to

examination. natural death!

'Primarily in nature. No c received yet. for post-mor mary report s

application proforms and other details are available on the institute's website: http://www.iipmb.edu.in.

Applications must be received before 5.00 PM (IST) on 8th October 2020.

Date: 18.09.2020

Convenor

Notification No. 14/20 High Level Search-cum-Selection Committee

Statue bhoomi pujan postponed after Ambedkar kin not invited

VISHWAS WAGHMODE & NEERAJTIWARI

MUMBAI, SEPTEMBER 18

Maharashtra Chief Minister Uddhav Thackeray was on Friday forced the postpone the foundation stonelaying ceremony for the 450-foot statue of Dr Babasaheb Ambedkar in Mumbai after the Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MM-RDA), which is executing the project, failed to invite members of Ambedkar's family and senior leaders from Congress and NCP.

Also, some senior Cabinet ministers in the Maha Vikas Aghadi government were extended an invite only a day in advance.

Uddhav was scheduled to conduct the bhoomi pujan ceremony at 3 pm but postponed the event hours before it was to take place. While Prakash Ambedkar, grandson of Babasaheb Ambedkar, was not invited, his brother Anandraj was sent an invitation around 11.30 am on Friday.

Further, NCP and Congress leaders, such as NCP chief Sharad Pawar and ministers Ashok Chavan and Jayant Patil, were not invited for the event.

In a statement, Uddhav said: "After the Cabinet decision of increasing the height of the memorial, the MMRDA planned the bhoomi pujan programme. But I brought to their notice that everyone needs to be involved in such an important programme and have given instructions to organise a better programme by inviting all the prominent dignitaries for it."

TAMILNADU CO-OPE

Empanelme

Name of Supply: Seeds, Pestic Bio- Pesticides, Bio-Fertili for the Period f

For and on behalf of Tamilnadu C Thanjavur Cooperative Marketing F Marketing Society Ltd., Udagamand Director, Tamil Nadu Cooperative M Importers for the supply of the mer Tender covers are invited from the m FOL destination delivery basis for the

SI. No.	Variety	
(1)	(2)	
1	Seeds (All Varieties)	
2	Pesticides (All Varieties) Lliquid and Powder	
3	Agricultural Implements (All Types)	
4	Plant Growth Regulator Liquid and Dust/ Granules	
5	Bio Pesticides	

6 Bio Fertilisers

Organic Manure

8 De-oiled Neem Oil cake

Prescribed Application form contain of Rs.1000/-+ GST 12% by cash or De Nadu Cooperative Marketing Federa and 5.00. P.M. on all working days from schedules may also be downloaded fro

The Filled in Application Form in "B" and name of the product to be "The Managing Director, Tamil Nad application must be accompanied by respective amount as mentioned in p above mentioned office on or before so received will be opened by the Em Cooperative Marketing Federation Ltd present at that time, and the information Chennai -18 Dated :17.09.2020

SINGER INDIA LIMITED

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

Office: A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate, New Delhi-110044

Tel: +91-11-40617777, Toll Free No. 1800-103-3474

E-mail: secretarial@singerindia.net, mail@singerindia.net, Website: www.singerindia.net

NOTICE

Notice is hereby given pursuant to the provisions of Section 124 (6) of the Companies Act, 2013 read along with the Investor Education and Protection Fund Authority (Account, Audit, Transfer and Refund) Rules, 2016 ("the Rules") notified by the Ministry of Corporate Affairs effective from September 7, 2016 and amendments made thereunder.

Pursuant to the Rules, unpaid or unclaimed dividends are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund (IEPF) established by the Central Government, after completion of seven years.

Further, Equity Shares of the Company, in respect of which dividend has remained unclaimed or unpaid for seven consecutive years or more, are required to be transferred by the Company to the Investor Education and Protection Fund ("IEPF") Suspense Account.

The Company has communicated individually to the concerned shareholders whose shares are liable to be transferred to the said Demat Account for taking appropriate action(s).

The detail of such shareholders, unclaimed dividend and shares liable for transfer to IEPF Suspense Account is available on Company's website i.e. www.singerindia.net for information and necessary action by the shareholders.

Concerned shareholder(s) may immediately visit our website to verify the details of Concerned snareholder(s) may immediately visit our website to verify the details of the unclaimed/unpaid dividend and the shares liable to be transferred to IEPF and approach the Company at the co-ordinates indicated below with necessary documents supporting their dividend claim. Failing receipt of communication by November 19, 2020, the Company will proceed to transfer the dividend and/or shares, by the due dates specified by the Rules or such further extended date as may be applicable, for necessary compliance. In this connection, please note that:

For shares held in physical form: New share certificate(s) will be issued and transferred subsequently to the Demat account of the IEPF Authority without any further notice. Further, upon issue of such new share certificate(s) the original share certificate(s) which are registered in your name will stand automatically cancelled and deemed to be bad delivery.

For shares held in electronic mode: The shares will be directly transferred to the Demat Account of the IEPF Authority with the help of Depository Participant(s) without any further notice.

The members may further note that the details made available by the Company on its website shall be deemed as adequate notice in respect of issue of duplicate share certificate(s) by the Company for transfer of shares to IEPF. Please note that no claim shall lie against the Company in respect of unclaimed dividend amount and shares transferred to IEPF Authority pursuant to the said Rules.

The Unclaimed dividend amount and the shares transferred to IEPF, may be claimed by the concerned shareholder from the IEPF Authority by following the procedure prescribed under the aforementioned IEPF Rules.

For any queries on the subject matter, you may contact Secretarial Department at A-26/4, 2nd Floor, Mohan Cooperative Industrial Estate New Delhi - 110044, Phone: 011-40617777; Email: secretarial@singerindia.net

By Order of the Board For Singer India Limited

Place: New Delhi Dated: 18.09.2020

Priyanka Gandhi Company Secretary

New De

eed to issue duplicate certificate(s) and no

i.	25	1658665-1658689	7424
	700	414351-415050	955-961
	200	416851-417050	981-982
	100	2848740-2848839	22687-22688
1	250	3016115-3016364	25723-25727
	100	1269160-1269187	10405
		1502997-1503032	
	hitz	1797369-1797404	Contain or
i	100	1911940-1911964	10406
	FR	1956015-1956039	
		2007340-2007389	- 25 Base
	100	1950240-1950264	10407
	137	1955065-1955114	
		2003090-2003114	C. Carlotte
	100	240281-240380	10432
a	100	1038358-1038457	10433
	100	1117603-1117702	10434
	100	1649004-1649103	10435
	100	181461-181560	10436
	100		10437
	100	1700801-1700900	10438

For Daisy Investment Private Limited Sd/-

Veena Modi Director

मिटेड (परिसमापनाधीन)

-P01261/2018-2019/12093 नि बाजार रोड, नांगलोई, दिल्ली-110041 ा सम्पर्क नं. : +91 9312078117

के तहत आस्तियों की बिक्री 28 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप.-5.00 बजे अप. स्तार सहित)

के स्वामित्व की आरित्यों तथा सम्पत्तियों की आदेश दिनांक 13 फरवरी, 2020 द्वारा नियुक्त है। यह बिक्री अधीहस्ताक्षरी द्वारा ई-नीलामी

सम्पन्न होगी। ब्लॉक आरक्षित ईएमडी वर्धित मूल्य राशि मूल्य AB 600 60 संख्या I-च, ग्रेटर लाख लाख लाख संख्या I-वा, ग्रेटर च, ग्रेटर संख्या I-या, ग्रेटर बा, ग्रेटर संख्या 1-वा, ग्रेटर पर निर्मित स निर्मित मा I-35, लाख -20130 लाख लाख लाख लाख -20130 म्या I-37 10 100

अलग-अलग नम्बरिंग है और यूपीएसआईडीसी अलग-अलग छः पट्टी विलेख के माध्यम से ह पर भवन संरचना है जो सभी चारों प्लॉट को लिए पात्र संविदाकर इन प्लॉटों के लिए अलग-अतः अलग-अलग प्लॉट हेतु बोली केवल तभी प्लॉट तथा दो प्लॉट के लिए लगायी जायेगी और बोलियाँ सामूहिक रूप से उपुर्वक्त सभी प्लॉटॉ अन्ततः तब तक किसी प्लॉट के लिए अलग से बर प्लॉटों वा दो प्लॉटों के लिए न प्राप्त हो जायें बने का वचन न दे। हालाँकि सभी छः प्लॉटों के

100

लाख

100 10

लाख लाख लाख

10

लाख लाख

10

साख

-201306

I-38

म्या I-51,

呵 I-52,

एक को ब्लॉक ए-1, ए-2, ए-3, ए-4 में

चूंकि कॉर्पोरेट देनदार की कोई सक्रिय वेबसाइट नहीं है अतः परिसमापक द्वारा स्वीकृत राशि के सम्पूर्ण विवरण को प्रदर्शित करती हुई, जहाँ तक दावे प्रतिभूत/ अप्रतिभूत है, हितधारकों का विवरण तथा आंशिक एवं पूर्ण रूप से अस्वीकृत प्रमाणों, यदि कोई हो को निम्नलिखित लिंक में

"https://insolvencyandbankruptcy.in/ public-announcement/ shrilakshmi-cotsyn-limited/"

हितधारकों को पुनः अधिसूचित किया जाता है कि माननीय एनसीएलटी के पास दाखिल के अनुसार हितधारकों की सूची में प्रविष्टि में कोई संशोधन माननीय एनसीएलटी के पास केवल आवेदन करके किया जा सकता है।

तिथि: 18.09.2020 स्थानः गुरुग्राम

रोहित सहगल

श्री लक्ष्मी कॉटसिन लिमिटेड के मामले में परिसमापक आईपी पंजीकरण सं. IBBI/IPA-001/IP-P00528/2017-18/10953 ई-मेल आईडी: iamrs101@gmail.com

> अनुसूची I प्रपत्र ए सार्वजनिक उद्घोषणा

[भारत दिवाला तथा दिवालिया मंडल (स्वैच्छिक परिसमापन प्रक्रिया) विनियमन, 2017 के विनियमन 14 के अंतर्गत] रिकल्स फॉर इंडिया के स्टेकधारकों के ध्यानार्थ

1.	कॉर्पेरिट ऋणधारक का नाम	स्किल्स फॉर इंडिया
2.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के निगमन की तिथि	27 नवम्बर, 2013
3.	वह प्राधिकरण जिसके अंतर्गत कॉर्पोरेट ऋणधारक निगमित/पंजीकृत है	कम्पनी रजिस्ट्रार, नई दिल्ली
4.	कॉर्पोरेट पहचान संख्या/ कॉर्पोरेट ऋणधारक का सीमित दायित्व पहचान संख्या	U80903DL2013NPL261186
5.	कॉर्पोरेट ऋणधारक के पंजीकृत कार्यालय तथा प्रधान कार्यालय (यदि कोई हो) का पता	4था तल, गोपाल दास भवन, 28, बाराखम्बा रोड, नई दिल्ली-110001
	कॉर्पोरेट ऋणधारक के संदर्भ में दिवाला आरंभ होने की तिथि	
7.	परिसमापक का नाम, पता, ई-मेल पता, टेलीफोन नम्बर तथा पंजीकरण संख्या	नामः नरेन्द्र सिंघानिया पताः ई-21, 1ता तत, होज खास, नई दिल्ली-110016 ईमेलः nsinghania@passpl.com टेलीफोन नग्नरः 011-43156000 पंजीकरण संख्याः IBBI/ IPA-001/ IPP00196/ 2017-18/10375
8.	दावे जमा करने की अंतिम तिथि	17 अक्टूबर, 2020

एतद्द्वारा सृचित किया जाता है ''स्किल्स फॉर इंडिया'' ने 18 सितम्बर, 2020 को स्वैच्छिक परिसमापन शुरू किया

एतद्द्वारा ''स्किल्स फॉर इंडिया'' के स्टेकधारकों को निर्देश दिया जाता है कि आइटम नं. 7 में वर्णित पते पर

रपर्वता (क्रांचित) परिसमापक के पास 17 अक्टूबर, 2020 को या उससे पूर्व अपने दावे का प्रमाण जमा करें। फाइनांसियल क्रेडीटर्स केवल इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से ही अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं। अन्य सभी क्रेडीटर्स व्यक्तिगत, डाक द्वारा अथवा इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपने दावे का प्रमाण जमा कर सकते हैं।

दावे का गलत या भ्रामक प्रमाण जमा करने पर दंडित किया जा सकता है। तिथि: 18 सितम्बर, 2020 स्थान: नई दिल्ली

हस्ता./-नरेन्द्र सिंघानिया

पंजीकरण संख्याः IBBI/ IPA-001/ IP-P00196/ 2017-18/10375

डा. फ्रेश एसेट्स लि. CIN: L74899DL1990PLC042302

पंजी. कार्यालयः बी 1/ई-24, मोहन को-ऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 देली. नं. 91-11-41679238, फैक्स नं. 91-11-26940969,

इमेल: drfresh@drfreshassets.com; वेबसाईट: www.drfreshassets.com 30वीं वार्षिक साधारण सभा, पुस्तक बंद होने तथा ई-वोटिंग जानकारी के लिये स्वेत्रा

एतदृद्वारा सूचित किया जाता है कि कम्पनी के सदस्यों की 30वीं वार्षिक साधारण सभा (एजीएम) रविवार, 2 सितम्बर, 2020 को 3.00 बजे अप. में बी 1/ई-24, मोहन को-ऑपरेटिव, इंडस्ट्रियल एरिया, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110044 में आयोजित की जायेगी जिसमें सभा के आयोजन की सुचना में वर्णित व्यवसायों को निष्पादित

30वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट ऐसे सदस्यों को इलेक्ट्रॉनिक पद्धति से भेज दी गई है जिनके अध्या एजाएन का तुष्का तथा आपकारणा ६५० तथ्या अर अपनुष्कान न्यूबर्ण से ने अपने हैं हैं इंसेन आईडी कम्पनी अथवा डियॉकिटरी पार्टिसेन्ट्स के पास दर्ज हैं, बसरें सदस्यों ने अपने हाई कीपी के लिये अपने अनुरोध दर्ज नहीं कसये हों। 30वीं एजीएम सुचना की तथा वार्षिक रिपोर्ट की भौतिक प्रति अन् सभी सदस्यों को स्वीकृत पद्धति में उनके पंजीकृत पते पर भेजी गई है। 30वीं एजीएम की सूचना तथा वार्षिक रिपोर्ट कम्पनी की वेबसाईट www.drfreshassets.com पर उपलब्ध है।

रिमोट ई-वोटिंग जानकारी: कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 108 तथा कम्पनी (प्रबंध तथा प्रशासन) नियमावली, 2014 के नियम 20 तथा सेबी (सूचीयन दायित्व तथा उद्घाटन अपेक्षा) विनियमन, 2015 के विनियमन 44 के अनुपालन में कम्पनी वार्षिक साधारण सभा की सूचना तिथि 17 सितम्बर, 2020 में निर्दिष्ट सभी प्रस्तावों पर मतदान करने में सक्षम बनाने के लिये अपने सदस्यों को रिमोट ई-वोटिंग की सुविधा उपलब करा रही है। 30वीं एजीएम की सूचना सदस्यों को 5 सितम्बर, 2020 तक भेज दी गई है। कम्पनी ने नेशनर सिक्युरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) द्वारा उपलब्ध कराई गई ई-वोटिंग सेवाएँ प्राप्त की है। स्वच तथा पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के संचालन के लिये में. आरएंडडी कम्पनी सेक्रेट्रीज, दिल्ली के पूर्ण कालिक कार्यरत कम्पनी सचिव श्री देवव्रत देवनाथ को पर्यवेश्वक नियुक्त किया गया है। ई-बोर्टिंग अवि गुरुवार, 24 सितम्बर, 2020 को 9.00 बजे पूर्वा. में शुरू होगी तथा शनिवार, 26 सितम्बर, 2020 को 5.00 बजे अप. में बंद होगी। उसके बाद मतदान के लिये ई-वोटिंग पद्धत्ति निष्क्रिय कर दी जायेगी। सदस्य द्वारा किसी अपन न बर होगा। उदाज बाद नार्याम का राज इंग्याटम बढ़ारा माम्क्रम कर दो जाउंगी। संदर्ज वहार विस्त्र प्रस्ताव पर एक बार मतदान कर देने के बाद उन्हें उसमें परिवर्तन की अनुमति नहीं वी आयेगी। सदस्यों के मतदान का अधिकार कट-ऑफ तिथि जो 3 सितम्बर, 2020 है, को उनके द्वारा चारित हेक्विटी शेयरों की संख्य के अनुसार होगा। यदि कोई व्यक्ति एजीएम की सूचना के प्रेषण के बाद शेयर अर्जित करते हैं तथा कम्पनी क सदस्य बनते हैं तथा कट-ऑफ तिथि 3 सितम्बर, 2020 को शेयर धारित करते हैं, वे कम्पनी के रजिस्ट्रार तथ शेयर अंतरण एजेन्ट (आरटीए) अथवा एनएसडीएल से रिमोट ई-वोर्टिंग के लिये यूजर आईडी तथा पास्वर्ड प्राप्त कर सकते हैं।

एजीएम स्थल पर मत पत्र (''मत पत्र'') द्वारा मतदान किया जायेगा तथा एजीएम में उपस्थित होने वाले ऐसे सदस्य जिन्होंने रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान नहीं किये हों वे मत पत्र द्वारा अपना मतदान करने में सक्षम होंगे। रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना मतदान कर देने के बाद भी सदस्य एजीएम में शामिल हो सकते हैं, 'लेकिन एजीए

स्थल पर उन्हें फिर से मतदान करने की अनुमति नहीं दी जायेगी। यदि कोई व्यक्ति रिमोट ई-वोटिंग साथ ही एजीएम में मतदान कर देते हैं तो रिमोट ई-वोटिंग द्वारा किया गया मतदान लागू रहेगा तथा एजीएम में किया गया मतदान अवैध माना जायेगा।

यह सूचना उन सभी सदस्यों को भेजी गई है जिनके नाम 28 अगस्त, 2020 को सदस्यों के रजिस्टर त डिपॉजिटरीज के अभिलेखों में शामिल हैं। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की प्रक्रिया तथा तरीकों के लिये सदस्य 30वीं एजीएम की सुचना में दिये गये निर्देशों को देखें अथवा एनएसडीएल की वेबसाईट www.evoting.nsdl.com देखें तथा किसी प्रकार की पूछताछ के लिये सदस्यगण श्री नितिन एम्बुरे, उपाध्यक्ष, नेशनल सिक्युरिटीज

Place: New Delhi Date: 15.09.2020

Managing Director Din: 06624897

सिंगर इंडिया लिमिटेड

(CIN: L52109DL1977PLC025405)

पंजी. कार्यालय और मुख्य कार्यालयः ए-26/4, द्वतीय तल, मोहन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल

एस्टेट, नई दिल्ली —110044 टेली: +91-11-40617777, टोल फ्री नं**o**. 1800-103-3474 ई—मेल: <u>secretarial@singerindia.net</u>, लेबसाइट: <u>www.singerindia.net</u>

7 सितम्बर, 2016 से प्रमावी कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा अधिसूचित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण र सिर्मान (२०१६ ते जनार जिल्ला) को आप प्रतिकार के साथ परिकड़े नियमावली, 2016 ("नियमावली") तथा उसके अंतर्गत किये गये संशोधनों के साथ पठित कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 124 (6) के प्रावधानों के अनुपालन में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है।

नियमावली के अनुसार अप्रदत्त अथवा दावा-रहित लामांशों को कंपनी द्वारा सात वर्षों की पूर्णता के बाव केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष (आईईपीएफ) में अंतरित करना पडता है।

पुनः कंपनी की ऐसी इविवटी शेयरों जिनके संदर्भ में लगातार सात वर्षों अथवा अधिक से लामांश ु वावा—रहित अथवा अप्रदत्त रहा है, को कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा तथा संरक्षण कोष ("आईईपीएफ") सस्पेंश खाता में अंतरित करना पड़ता है।

कंपनी ने संबंधित शेयरधारकों को व्यक्तिगत रूप से सूचित किया है जिनके शेयर उचित कार्यवाही हेतु उक्त डीमैट खाते में अंतरण के लिए उत्तरदायी हैं।

ऐसे शेयरघारकों, आईईपीएफ सस्पेंश खाता में अंतरण के लिये नियत दावा-रहित लामांश तथा शेयरों का विवरण कंपनी की वेबसाइट www.singerindia.net पर उनकी जानकारी तथा शेयरघारकों क्षारा आवश्यक कार्रवाई के लिये उपलब्ध हैं।

संबंधित शेयरधारक आईईपीएफ में अंतरण के लिए नियत दावा-रहित/अप्रदत्त लामांश तथा शेयरों के विवरण की जांच कर लें तथा उनकी लामांश का दावा का समर्थन करने वाली आवश्यक दस्तावेजों के साथ नीचे दर्शाये गये पते पर कंपनी से सम्पर्क करें। 19 नवम्बर, 2020 तक प्रत्युत्तर नहीं मिलने पर कंपनी नियमावली द्वारा निर्दिष्ट नियत तिथि अथवा आवश्यक अनुपालन के लिए लागू होने वाली विस्तारित तिथि तक कंपनी लामांश एवं / अथवा शेयरों के अंतरण की कार्यवाई करेगी। इस संदर्भ में कृप्या ध्यान रहे कि:--

भौतिक पद्धित में घारित शेयरों के लिए: नए शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) जारी किए जाएंगे तथा बिना कोई आगे सूचना के आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में उसे अंतरित किया जाएगा। पुनः ऐसे नवीन शेयर प्रमाणपत्र(वॉं) के निर्गम पर आपके नाम में पंजीकृत मूल शेयर प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त हो जाएंगे तथा उसे गलत डेलिवरी माना जाएगा।

इलेक्ट्रॉनिक पद्धित से धारित शेयरों के लिए: उनके शेयर आगे बिना किसी सूचना के डिपॉजिटरी पार्टिसिपैन्ट्स की मदद से आईईपीएफ प्राधिकरण की डीमैट खाता में प्रत्यक्ष रूप से अंतरित किया जाएगा।

सदस्यगण पुनः ध्यान रखें कि उसकी वेबसाइट पर कंपनी द्वारा उपलब्ध कराई गई विवरणों को आईईपीएफ में शेयरों के अंतरण के लिए कंपनी द्वारा डुप्लीकेट शेयर प्रमाणपत्र(त्रों) को जारी करने के लिए पर्याप्त सूचना माना जाएगा। कृप्या ध्यान रहे कि उक्त नियमावली के अनुसार आईईपीएफ प्राधिकरण में अंतरित दावा-रित लामांश तथा शेयरों के लिएं कंपनी के विरुद्ध कोई दावा नहीं की जा सकती है।

संबंधित शेयरधारक ऊपर वर्णित आईईपीएफ नियमावली के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रक्रिया का अनुसरण कर आईईपीएफ प्राधिकरण से आईईपीएफ में अंतरित दावा-रहित लामांश राशि तथा शेयरों का दावा कर सकते हैं

उक्त विषय पर किसी प्रकार की पूछताछ के लिए आप सचिवीय विमाग से ए-26/4, द्वतीय तल, मोइन कोऑपरेटिव इंडस्ट्रियल एस्टेट, नई दिल्ली -110044, फोनः 011-40617777; ईमेलः secretarial@singerindia.net पर सम्पर्क करें।

बोर्ड के आदेशानुसार कृते सिंगर इंडिया लिमिटेड हस्ता/-प्रियंका गांधी

स्थानः नई दिल्ली दिनांकः 18.09.2020 कंपनी सचिव



मुरादनगर ब्रांच वार्ड न0. 14, मेन रोड मुरादनगर गाजियाबाद (युपी)

कब्जा सूचना

(अचल सम्पत्ति / यों के लिये) [देखें नियम 8(1)]

जैसा कि, वित्तीय परिसम्पत्तियों के प्रतिभृतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभृति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 (2002 के 54) के अंतर्गत बैंक ऑफ बड़ौदा के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में तथा प्रतिभृति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पिठत धारा 13 के अंतर्गत प्रदत्त मतियमों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने मांग सूचना तिथि 29.05.2020 जारी कर ऋणधारक मैं0 राजबाला लेक्सटाईस (पो0 स्व0 श्री अजय कुमार गोयल), गांधी कालोनी, मुरादनगर, गाजियाबाद (युपी)-201206 और जमानतदार श्रीमती राजबाला देवी पत्लि श्री योगेशवर दयाल गोयल और आर जमानतदार श्रीमती राजबाल दवा पाल श्री वागशवर दवाल माचेस आर्म श्रीमती रानी गोयल पत्नि स्व० श्री अजय कृमार गोयल, निवासी: विजय मन्द्री, धर्मशाला रोड, मुरादनगर, गाजियाबाद (युपी)—201208 ऋण युकाने के लिए नोटिस में उल्लिखित राशि र 46,04,774.96 (छीयालीस लाख, चार हजार, स्प्रत सौ चौहत्तर और छान्बे पैसे) दिनांक 31.03.2020 को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिनों के भीतर सूचना में वर्णित सम्पूर्ण भुगतान तक उस पर आगे के ब अनुबंधित दर, लागतों, वार्जेज एवं खर्चें के साथ वापस लौटाने का निर्देश दिया था।

ऋणात्मक / गारन्टर्स / मार्टरीजर्स इस राशि को वापस लौटाने में विफल रहे, अत एतदृद्वारा ऋणधारक / गारन्टर्स / मार्टगैजर्स तथा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आज़ दिनांक 14 सेप्टेम्बर, 2020 को अधोहस्ताक्षरी ने उक्त प्रतिमूर्ति हित प्रवर्त्तन नियमावली 2002 के नियम 8 के साथ पठित अधिनियम की धारा 13 (4) के अंतर्गत उन्हें प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधोहस्ताक्षरी ने यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का भौतिक कब्जा कर लिया है।

विशेष रूप से ऋणधारकों तथा आम जनता को एतदद्वारा सतर्क कि या जाता है कि वे यहां नीचे वर्णित सम्पत्ति का व्यवसाय न करें तथा इन सम्पत्तियों का किसी भी तरह का व्यवसाय भुगतान की तिथि तक अनुबंधित दर पर उस पर आगे के ब्याज एवं लागत, चार्जेज तथा खर्चे के साथ ₹ 46,04,774.96 (छीयालीस लाख, चार हजार, सात सौ चौहत्तर और छान्बे पैसे) की राशि के लिये बैंक ऑफ बड़ौदा, मुरादनगर शाखा, वार्ड न0 14, मेन रोड मुरादनगर, गाजियाबाद (युपी) के चार्ज के अधीन होगा।

ऋणधारक का ध्यान प्रतिभृत परिसम्पत्तियों को विमोचित करने के लिए उपलब्ध समय के